(1)

5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED CANCELLED

Filed

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1. देवेन्द्र कुमार चौबे पिता बाबूलाल ब्रा0
2. शैलेन्द्र कुमार चौबे पिता बाबूलाल ब्रा0

दोनो निवासी अजयगढ तह. अजयगढ जिला पन्ना म0प्र0

......... **आवेदकगण**

निगरानी-3303/2018/पन्ना/भू.रा.

B-O-R

22 MAY 2018

**//विरुद्ध//**

............ **अनावेदक**

म0प्र0 शासन

प्र.क्र.

ता0 पेशी

प्र. ...अनिल चौबे... एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत.

प्रकोष्ठक

कार्यालय [illegible], सागर (म.प्र.)

### आवेदन पत्र अंतर्गत निगरानी धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

**आवेदकगण निम्न प्रार्थना है :-**

आवेदक अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्र. 1095/ अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2018 से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :-

**संक्षिप्त तथ्य :-**

यह कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण देवेन्द्र कुमार चौबे बगैरह निवासी ग्राम अजयगढ द्वारा म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय पन्ना के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हरसैनी तह. अजयगढ स्थित पुराना आराजी नंबर 434 रकवा 4.15 हे0 आवेदकगणो के भूमि स्वामी की पुस्तैनी भूमि है दौरान वंदोवस्त सर्वे हेतु

90
23/5/18

अनिल चौबे
एड.

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3303/2018/पन्ना/भू.रा. देवेन्द्र विरूद्ध शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-06-2018 | आवेदक की ओर से श्री अनिल चौबे, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया ।<br>अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है ।<br>उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ग्राहय योग्य न होने से निरस्त की जाती है । साथ ही कलेक्टर पन्ना को यह निर्देश दिये जाते है कि ग्राम हरसैनी तह. अजयगढ में देवेन्द्र कुमार चौबे तनय बाबूलाल द्वारा एवं शैलेन्द्र कुमार चौबे तनय बाबूलाल चौबे द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये हुए है तो तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाया जावे व उक्त शासकीय भूमि को शासकीय योजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जावे । की गई कार्यवाही से दो माह के अन्दर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जावे ।<br>अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>सदस्य | |